कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क्रमांक/भू.अ./2020/ 1676

दिनांक 08-07-2020

प्रेषिति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
जायल

विषय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण सं. 19/2019 अनवान .... की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई,उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ. निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

तहसीलदार (भू.अ.) जायल
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

प्रकरण सं. 19/2019
अनवान - शिवकरण बनाम देवाराम

आज दिनांक 04-07-2020 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के आदेशानुसार दि. 22-6-2020 की पालना में प्रकरण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी खातेदार शिवकरण पुत्र नारायणराम जाट ग्राम गोठड़ा तहसील जायल जांच रिपोर्ट हेतु हमराह पटवारी हल्का रोड़ के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थी शिवकरण हाजिर मिला। खसरा 678 रकबा 87-12 बीघा = 14-1801 हैक्टेयर खातेदार शिवकरण पुत्र नारायणराम जाट व गोठड़ा की अप्रार्थी खातेदार देवाराम व हीराराम मेघवाल का गोठड़ा खसरा 1215/679 रकबा 7-17 बीघा = 1.2707 हैक्टेयर की प्रार्थी के खेत खातेदारी ख.नं. 678 रकबा 87-12 बीघा के आने जाने हेतु रास्ता खातेदारी रोई ग्राम गोठड़ा से निकालते

नजरी नक्शा

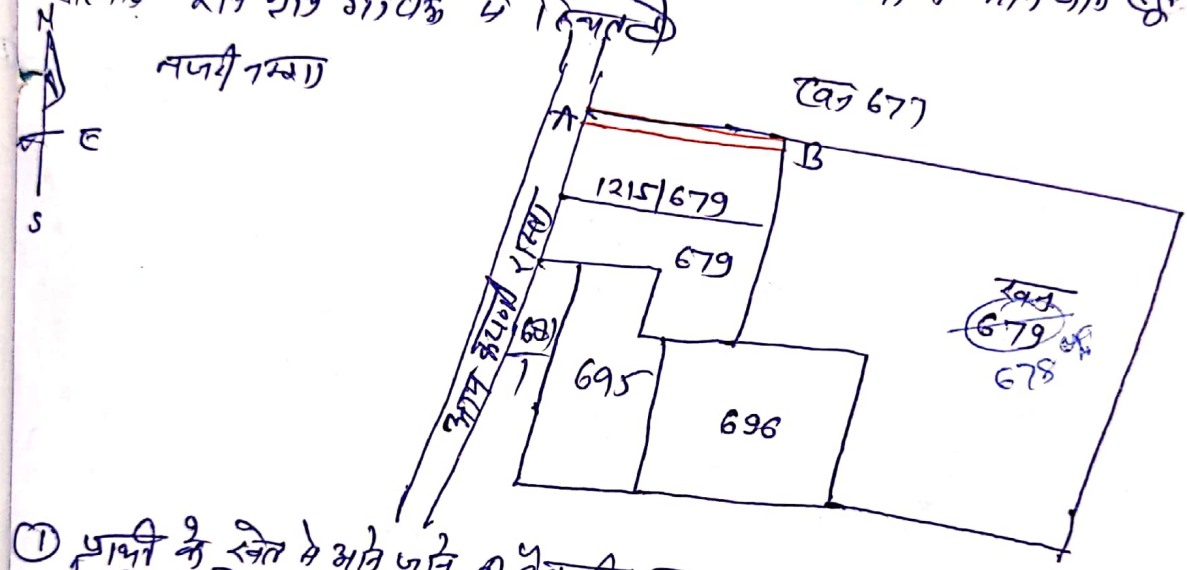

(1) प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 677 में मौजूद है अप्रार्थी की [illegible] जा डाली है
(2) प्रार्थी के सबसे नजदीकी रास्ता बिन्दु के A से B तक का हुआ है जो ख.नं. 1215/679 की उत्तरी पाल पर आता है।
(3) घोषित रास्ता की भूमि पर कच्चा धवरा निर्मित किया जाता है।
(4) घोषित रास्ता की लम्बाई 450 फुट चौड़ाई 12 फुट = 5400 वर्ग फुट = 0.0501 हैक्टेयर है खसरा 1215/679 में से 0.0501 हैक्टेयर भूमि जायेगी।
(5) DLC दर प्रति बीघा 177767 रुपये प्रति बीघा है।
सबसे नजदीकी कायमी रास्ते से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु व आने हेतु बिन्दु से A से B तक इससे नजदीकी दूसरा रास्ता नहीं है।
मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

c.s.
[illegible]
31/02/2021

कंदीराम

[illegible]
मजबरी रोड
04.07.2020

परसाराम मेहरा
निरीक्षक (भू.अ.) पुताउ
तहसील जायल (नागौर)
4-07-2020

किशनाराम

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 19/2019

प्रार्थी :–

शिवकरण पुत्र नारायणराम
जाति–जाट निवासी–गौराऊ तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रेखाराम पुत्र हीराराम जाति–मेघवाल निवासी–गौराऊ तहसील जायल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हरिश पारीक प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 17/02/2021

– : : आदेश : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 678 रकबा 14.1802 बीघा मौजा गौराऊ तहसील जायल में स्थित है जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है, जिसके चिपते ही उत्तरी पश्चिमी तरफ अप्रार्थी रेखाराम का कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नं. 1215/679 रकबा 1.2707 हैक्टेयर वाकै मौजा गौराऊ में रहता चला आया है। अप्रार्थी के उक्त खेत के चिपता ही पश्चिमी तरफ मुरड़िया सड़क आम कटाणी रास्ता ग्राम गौराऊ से ग्राम झरड़ीया सड़क आई हुई है। जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी शिवकरण अपने खेत खसरा नं. 678 में कृषि कार्य हेतु गाड़ी छकड़े मवेशी इत्यादी कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1215/679 में इस खेत की उतरी माठ के सहारे–2 चलकर अपने खेत की उतरी पश्चिमी कुट अर्सा कदीमी रिवासी रास्ता 12 फीट चौड़ाई से आना जाना करता रहा है, जो कि नजरी नक्शे में मार्क ए से बी प्रदर्शित है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए नहीं लगता है।

17/02/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

अप्रार्थी ने करीब 10 दिन पहले अप्रार्थी प्रार्थी को इस रास्ते का उपयोग उपभोग करने से मना करते हुये बदनियती से उक्त रास्ता मार्क ए से बी को अवरूद्ध कर दिया। आपसी वार्तालाप एवं सुलह नहीं होने से प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध लाना लाजमी हुआ है है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1215/679 रकबा 1.2707 हैक्टैयर में से उत्तरी माठ के सहारे–2 करीब 12 फीट चौड़ाई में नजरी नक्शानुसार कटाणी रास्ता उक्त रास्ते के उपभोग में आने वाली जमीन के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि के बदले में जो प्रार्थी अदा करने हेतु सहमती है, कटाणी घोषित फरमाते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार जायल को दिये जाने की इस्तदुआ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने वकालात नामा तथा दिनांक 26.02.2020 जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियां पेश की गई।

3. तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त हुई। जो दिनांक 20.10.2020 को पत्रावली पर ली गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौजा गौराऊ के खेत खसरा नं. 677 जो कि डोली भूमि है में से वैकल्पिक अस्थायी रास्ता है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नं. 1215/679 की उत्तरी माठ पर लगता है जो कि बिन्दू संख्या ए से बी है तथा इसके अतिरिक्त कोई ओर नजदीकी रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते पर कच्चा छपरा का निर्माण किया हुआ है। प्रस्तावित/वांछित रास्ता की लम्बाई 450 फीट व 12 फीट चौड़ाई होगी जिसके लिए 0.0051 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आयेगी।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज को आंशिक स्वीकार करते हुये शेष समस्त तथ्य बनावटी, व गलत होना बताया तथा अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी का खेत प्रार्थी के खेत से पश्चिम है। उत्तर में प्रार्थी का खेत न होकर पुखराज व मनोज पुत्रगण भैरूबक्ष ब्राहमण का खेत खसरा नं. 677 है जो अप्रार्थी जवाब देहन्दा के खेत के भी उत्तर में ही आर–पार है अप्रार्थी के खेत के पश्चिम में कटाणी रास्ता तथा सड़क होना स्वीकार है लेकिन उसके खसरा नं. प्रार्थी ने नहीं बताये है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 678 में उक्त कटाणी रास्ते से

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

फंटकर अप्रार्थी के खेत की माठ–2 जाता हो बल्कि प्रार्थी अपने खेत में उक्त कटाणी रास्ता तथा सड़क से फंटकर अप्रार्थी के खेत के उतर में स्थित खसरा नं. 677 की दक्षिणी माठ के अन्दर–2 चलकर फिर दक्षिण में घूम कर अपने खेत में आता जाता रहा है। यह गलत है कि अप्रार्थी के खेत की उतरी माठ पर 12 फीट चौड़ाई का अरसा कदीमी से हो तथा कभी प्रार्थी ने इस स्थान से आवागमन किया हो तथा प्रार्थी ने इस वर्ष की फसल भी इसी रास्ते से बोई है। प्रार्थी का वैकल्पिक रास्ता उपर बताये अनुसार है तथा वहीं से आवागमन करता रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रफ नक्शा गलत तथा भ्रामक है, उक्त नक्शे में दर्शाये अनुसार मार्क अ से ब स्थान पर कोई रास्ता नहीं है एवं न कभी आवागमन प्रार्थी ने इस रास्ते से किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में बताये गये स्थान अ से ब रास्ता की लम्बाई का ज्ञान अप्रार्थी को नहीं है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 1215/679 व 678 की उतरी सीमा को एक सीध में बताया है जबकि वास्ते में खसरा नं. 1215/679 की उतरी माठ खसरा नं. 678 की उतरी माठ से काफी बाहर है, जिसमें एक कठीन मोड़ भी बनता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत के लिए रास्ता खसरा नं. 677 में से सीधा है, तथा खसरा नं. 677 के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब व अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की सहमति पर हस्तगत प्रकरण में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

5. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 678 रकबा 14.1802 बीघा मौजा गौराऊ तहसील जायल में स्थित है जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी बनी हुई है, जिसके चिपते ही उत्तरी पश्चिमी तरफ अप्रार्थी रेखाराम का कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नं. 1215/679 रकबा 1.2707 हैक्टेयर वाकै मौजा गौराऊ में रहता चला आया है। अप्रार्थी के उक्त खेत के चिपता ही पश्चिमी तरफ मुरड़िया सड़क आम कट्राणी रास्ता ग्राम गौराऊ से ग्राम झरड़ीया सड़क आई हुई है। जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी शिवकरण अपने खेत खसरा नं. 678 में कृषि कार्य हेतु गाड़ी छकड़े मवेशी इत्यादी कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1215/679 में इस खेत की उतरी माठ के सहारे–2 चलकर अपने खेत की उतरी पश्चिमी कुट अर्सा कदीमी रिवासी रास्ता 12 फीट चौड़ाई से आना जाना करता रहा है, जो कि नजरी नक्शे में मार्क ए से बी प्रदर्शित है। अप्रार्थी ने गत वर्ष फसल बुआई के बाद रास्ता बन्द कर दिया। बार–बार निवेदन करने एवं

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
आसपास, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

जमीन के बदले जमीन की भी बात की लेकिन नहीं माना। तब व्यथीत होकर 251क का सहारा लिया। लेकिन अप्रार्थी ने जानबूझकर कच्चा छप्परा रास्ता रोकने की मंशा से प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर बना दिया ताकि प्रार्थी काश्त करने से वंचित होकर मजबूरन खेत का बैचान कर दे। इधर से रास्ते की रिपोर्ट में निर्माण की रिपोर्ट आये इसके लिए अप्रार्थी ने आनन–फानन में खेती करने बाद/फसल बुआई के बाद खड़ी फसल में यह छप्परा बनाया गया है। पड़ौसी खेत खसरा नं. 677 के काश्तकार ने प्रार्थी को केवल पगडण्डी के रास्ते से लावणी करने एवं केवल इस वर्ष की फसल पैदल ले जाने के लिए अनुमति दी। प्रार्थी इस वर्ष की फसल पैदल सिर पर लाने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि पड़ौसी ने उंट–गाड़ी, ट्रेक्टर वगैरह ले जाने के लिए मना कर दिया। पड़ौसी डोलीदार ने भी अब उक्त पगडण्डी रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया है तथा यह कह रहे है कि आपके लिए सीधा रास्ता वहीं है तथा वहीं से ही आप आते–जाते थे, जिसे आप प्रशासन की मदद से खुलवाओ। अतः प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का रास्ता दिलवाने का निवेदन किया।

6. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, गलत तथ्यों पर, मिथ्या, सारहीन होना बताया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 678 में उक्त कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थी के खेत की माठ–2 जाता है। बल्कि प्रार्थी अपने खेत में उक्त कटाणी रास्ता तथा सड़क से फंटकर अप्रार्थी के खेत के उतर में स्थित खसरा नं. 677 की दक्षिणी माठ के अन्दर–2 चलकर फिर दक्षिण में घूम कर अपने खेत में आता जाता रहा है। प्रार्थी का वैकल्पिक रास्ता उपर बताये अनुसार है तथा वहीं से आवागमन करता रहा है। प्रार्थी ने इस वर्ष की फसल भी इसी रास्ते से बोई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रफ नक्शा गलत तथा भ्रामक पेश किया गया है, उक्त नक्शे में दर्शाये अनुसार अ से ब स्थान पर कोई रास्ता नहीं है न कभी आवागमन प्रार्थी ने किया है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 1215/679 व 678 की उतरी सीमा को एक सीध में बताया है जबकि वास्ते में खसरा नं. 1215/679 की उतरी माठ खसरा नं. 678 की उतरी माठ से काफी बाहर है, जिसमें एक कठीन मोड़ भी बनता है। मौके पर अप्रार्थी का खेत की रखवाली के छप्परा बना हुआ है। जहां से प्रार्थी ने रास्ता चाहा है वहां पर निर्माण किया हुआ है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत के लिए रास्ता खसरा नं. 677 में से सीधा रह सकता है, तथा खसरा नं. 677 के खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थन पत्र चलने योग्य नहीं है। किसी भी खातेदार की भूमि में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

से काश्तकार को अपने खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है अनावश्यक रूप से अप्रार्थी को तंग व परेशान कर रास्ता निकालने पर आमादा है यदि ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी अपने मंसूबो पर सफल होगा जो कानून की मंशा के विपरित होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा किये गये ऑब्जेक्शन पर पुनः बहस का निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने दौरान बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी का यह ऑब्जेक्शन है कि रास्ते पर निर्माण किया हुआ है इसलिए रास्ता नहीं दिया जावे। यदि प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावेगा अप्रार्थी अपने मनसुबों में सफल हो जायेगा कि रास्ते के बीच में कच्चा पक्का निर्माण कर देने से सामने वाले को रास्ता नहीं मिलेगा तो 251क मंशा ही विफल हो जायेगी और दूसरो के लिए नजीर बन जायेगी। प्रार्थी इस कच्चे छप्परे को शिफ्ट करवाने का हर्जाना/प्रतिकर भी प्रभावित खातेदार/काश्तकार देने को तैयार है।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। अप्रार्थी की ने प्रार्थना पत्र के जवाब में आपत्ति की है कि प्रार्थी के खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 677 में से पगडण्डी के रूप में है जो कि अस्थाई है एवं भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में डोली दर्ज है। तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जोन के लिए निकटतम रास्ता खसरा नं. 1215/679 की उतरी सींव पर मार्क बिन्दू ए से बी है, जिस पर कच्चा छप्परा बना हुआ है तथा इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी दूसरा रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 678 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने का अंकन है साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कच्चा छप्परा निर्माण होना भी अंकित किया है। प्रथम दृष्टयां प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अथवा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व धारा 251क आर.टी.एक्ट. की मंशा को धुमिल करने की नियत से प्रस्तावित रास्ते पर कच्चा/पक्का निर्माण किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है, परन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में प्रस्तावित रास्ते पर कच्चा छप्परा का निर्माण बताया गया है। जो कि इस मंशा से बनाया जाना प्रतीत होता है कि निर्माण होने की रिपोर्ट की दशा में धारा 251क का प्रार्थना पत्र खारिज हो जायेगा, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **251क** के उद्देश्यो के विपरित है।

8. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 678 के मौजा–गौराऊ तहसील–जायल में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 में वर्णनानुसार अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1215/679 में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना तथा प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी पर निर्माण किया गया कच्चा छपरा हटाये जाने हेतु अलग से 10000/– (अक्षरे : दस हजार रूपये) मुआवजा के तौर पर प्रार्थी से पिड़ीत/प्रभावित पक्षकार को दिलवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत खसरा नं. 678 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–गौराऊ तहसील–जायल के खसरा नं. 1215/679 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 के अनुसार डोटेट मार्क ए–बी के अनुसार 450 फीट लम्बाई व 12 फीट चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम गौराऊ तहसील–जायल के खसरा नं. 1215/679 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी शिवकरण से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक रेखाराम को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे साथ ही उक्त प्रतिकर राशि के अतिरिक्त प्रस्तावित रास्ते पर से कच्चा छप्परा अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु 10,000/– (अक्षरे : दस हजार रूपये) पृथक मुआवजा राशि के तौर पर प्रार्थी शिवकरण से अप्रार्थी रेखाराम को दिलवाया जावे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

17/02/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner